

Most Urgent
Time Bound

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
2. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
3. संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
11. सभी कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य।

क्रमांक: 2020/ 2103-233

दिनांक: 22-01-2020

विषय:- श्रम विभाग, हरियाणा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 894-970 दिनांक 10.01.2020 के संदर्भ में।

विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग, हरियाणा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष लिखि जानी बनती है। इस संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा पहले ही विभाग की बैवसाईट पर उपलब्ध है। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने के संबंध में सरकार द्वारा समय-2 हिदायतें जारी की जाती है, जिस अनुसार रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर माह अप्रैल की 7 तारीख से पूर्व लिखकर संबंधित समीक्षा प्राधिकारी को भेजनी होती है, जिस पर समीक्षा अधिकारी द्वारा माह अप्रैल की 20 तारीख से पूर्व अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए स्वीकार प्राधिकारी को माह मई की 15 तारीख से पूर्व वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स को अन्तिम रूप दिया जाना होता है।

कार्यालय के ध्यान में आया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हो रही है, जिस कारण संबंधित अधिकारियों को ए.सी.पी/पदोन्नित इत्यदि जैसे मामलों में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग द्वारा दिनांक 15.01.2020 को विभागीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी अपना सैल्फ अप्रैजल प्रोफार्मा संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को 30 अप्रैल से पहले भेजते हुए प्रति मुख्यालय में भेजें। यदि संबंधित अधिकारी अपना सैल्फ अप्रैजल प्रोफार्मा समय सीमा में रिपोर्टिंग अधिकारी को नहीं भेजता है तो उस अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स पर प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जाएगी।

इसी प्रकार, संबंधित अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स पर as a reporting authority टिप्पणी समय रहते अंकित नहीं करता है तो उस अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स पर भी प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि जिन अधिकारियों द्वारा अपने अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स पर as a reporting authority टिप्पणी अंकित की जानी है व जिन अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्यालय स्तर पर लिखि जानी है, वह अधिकारी अपना सैल्फ अप्रैजल प्रोफार्मा समय रहते मुख्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

Mig
अतिरिक्त श्रमायुक्त (प्रशा0),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।